सं. 4/78/2006- पी एंड पी डब्ल्यू (डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन

नई दिल्ली- 110 003

दिनांक 12 अक्तूबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में पदों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति - नीति की समीक्षा ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 31.10.2007 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में नीहित निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति केवल तत्काल आमेलन आधार पर ही की जा सकती है । केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में पदों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति केवल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से उन पदों के संबंध में तत्काल आमेलन के नियमों से छूट प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है ।

2. तत्काल आमेलन के नियमों के लागू होने के कारण स्वायत्तशासी निकायों द्वारा पदों को भरने में सामना की जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग से परामर्श कर इस मामले की समीक्षा की गई है । इस विभाग के दिनांक 31.10.2007 के कार्यालय ज्ञापन में नीहित निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि उन पदों के भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है तो तत्काल आमेलन के नियम से छूट लिए बिना प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के पदों पर केंद सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को अनुमति दी जाए । यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :

i. प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती करने की अनुमति में जनहित का सामान्य सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण कारक होगा । प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती करने का सामान्य मानदंड यह होगा कि संगठन के भीतर या बाहर नियमित आधार पर तैनाती के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं । दूसरे शब्दों में भर्ती करने के तरीके के रूप में प्रतिनियुक्ति को तभी अपनाया जाएगा, जब पदोन्न्ति द्वारा नियुक्ति के लिए फीडर ग्रेड में पर्याप्त पद नहीं हैं या स्वायत्तशासी निकाय में तत्काल आमेलन आधार पर केंद्र सरकार से उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने की संभावना नहीं है ।

ii. स्वायत्तशासी निकायों में आम तौर पर पदों के निम्नलिखित वर्गों के लिए भर्ती करने के एक तरीके के रूप में प्रतिनियुक्ति को अपनाया जा सकता है :

(क) **वैज्ञानिक अनुसंधान या प्रौद्योगिकी विकास** के क्षेत्र में ऐसे पद, जिन पर विशेषज्ञ कर्मियों के तैनाती की आवश्यकता होती है ।

(ख) कार्यकारी या वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद अर्थात सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले केंद्रीय स्वायत्तशासी निकाय का ऐसा पद जिसका ग्रेड वेतन 7600/- रूपए से कम नहीं है ।

(ग) ऐसे पद, जहां कार्य की प्रकृति के कारण, सुरक्षा कारणों से या सतर्कता प्रयोजन के लिए सरकार के अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है ।

(घ) नव स्थापित / अस्थायी संगठनों में पद (स्थापना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक)।

(ङ) विशेष तौर पर विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में सीमित संख्या वाले पद, जहां नियमित संवर्ग का गठन संभव नहीं है।

(च) प्रत्येक मामले के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त निकाय में छूट देने के लिए पदों की संख्या के बारे में निर्णय लिया जा सकता है ।

iii. स्वायत्तशासी निकाय की भर्ती नियमावली में जिस पद पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है, उसे प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए ।

iv. यदि स्वायत्तशासी निकाय के किसी पद की भर्ती नियमावली को अधिसूचित नहीं किया जाता है या भर्ती नियमावली में भर्ती करने के एक तरीके के रूप में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था नहीं है, तो तत्काल आमेलन के नियम से छूट प्राप्त करने के संबंध में मौजूदा निर्देश लागू रहेगें ।

v. भर्ती नियमावली में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने वाले किसी विशेष ग्रेड में पदों की अधिकतम संख्या/प्रतिशत निर्दिष्ट करना होगा । स्वायत्तशासी निकाय द्वारा भर्ती नियमावली में निर्धारित संख्या से अधिक पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

vi. यदि भर्ती नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति कोटा से अधिक सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती करने का प्रस्ताव है, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा इस तरह के भर्ती करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । यदि प्रशासनिक मंत्रालय ने इस तरह के छूट की मंजूरी दे दी है तो तत्काल आमेलन के नियम से छूट की आवश्यकता नहीं होगी ।

vii. भर्ती नियमावली में इस आशय का उल्लेख होना चाहिए कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए तत्काल आमेलन के नियमों से छूट लेने की आवश्यकता नहीं है ।

3. उपर्युक्त नियुक्तियों को गैर-केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के पदों पर नियुक्ति माना जाएगा । अत: ऐसी नियुक्तियों पर केन्द्रीय स्टाफिंग योजना से संबंधित प्रतिनियुक्ति अवधि की अधिकतम सीमा लागू होगी ।

4. दिनांक 31.10.2007 के कार्यालय ज्ञापन के अन्य सभी प्रावधान, जिन्हें विशेष रूप से इस कार्यालय ज्ञापन में संशोधित नहीं किया गया है, यथावत् लागू रहेंगे ।

5. स्वायत्तशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक संवर्ग अनुमति सहित अन्य मंजूरियों से संबंधित निर्देश यथावत् लागू रहेंगे ।

6. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से उपर्युक्त निर्णयों का संज्ञान लेने और सभी संबंधित पक्षों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है ।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(हरजीत सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 24624752

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)